

फद अहकाम

रतना बनाम देव-नादाभा वरि.

नाम न्यायालय उपशष्ट अधिकारी जयपुर (जयपुर) जयपुर

केस संख्या 110/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	41/4/23	<p>पत्रावली पेश हुई। <u>श्री. जय देव</u> द्वारा। पत्रावली पूर्वोक्त वाले तलब/चिन्तन..... दिनांक 11/2/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपशष्ट अधिकारी जयपुराधिकारी, जिला-जयपुर</p>
<p>रतना बनाम देव-नादाभा वरि.</p> <p>Id by</p>	<p>27/6/23</p>	<p>पत्रावली में बादी/शर्की ने जारी की अधिकार पत्र श्री. जय देव पत्रावली विद्वा करने हेतु पेश होय पर पत्रावली तलब की गई। शर्की अधिकार पत्र द्वारा पत्र श्री. जय को शाखिल विद्वा किया गया। पत्रावली को मयलिक किया गया। बादी/शर्की को विद्वा श्री. जय लोकल किया जाकर पूरा वाद को विद्वा करने की अनुमति प्रदान की जाती है पर बादी/शर्की को पूरा वाद पर विद्वा किया जाकर पत्रावली पर जारी किया जाता है पत्रावली के तलब करने हेतु बाकी के कर हेतु बाकी प्रति हेतु शाखिल द्वारा है।</p> <p style="text-align: right;">उपशष्ट अधिकारी जयपुराधिकारी, जिला-जयपुर</p>